



**उच्च न्यायालय इलाहाबादs**

**आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2026 की 2478**

**पूजा एवं अन्य**

**.....याचिकाकर्तागण**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य**

**.....प्रतिवादीगण**

**याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहित गौतम**

**प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, हसन परवेज**

**न्यायालय संख्या - 45**

**माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति**

**माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री हसन परवेज को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. कुछ तर्कों के पश्चात, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

**दिनांक: 25 फरवरी, 2026**

**वी.के.जी.**

**(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।